"THE DELHI URBAN SHELTER IMPROVEMENT BOARD (AMENDMENT) ACT, 2015" (BILL NO. 04 OF 2015)



(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 24th June, 2015)

DELHI URBAN SHELTER IMPROVEMENT BOARD (Amendment) ACT, 2015.

Annexure - 'A'

Bill no .04....of 2015

A

BILL

Further to amend the Delhi Urban Shelter Improvement Board Act, 2010

Be it enacted by Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty Sixth Year of Republic of India as follows:-

- 1. Short title and commencement: (1) This Act may be called the Delhi Urban Shelter Improvement Board (Amendment) Act, 2015.
 - (2) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the official gazette, appoint.
- Amendment of section 2 in clause (g), in sub-clause (iii) for the words and figures "31st March, 2002", the words and figures "Ist January, 2006", shall be substituted in the Delhi Urban Shelter Improvement Board Act, 2010 in section 2.

This Bill has been passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 24th June, 2015.

DELHI

Dated the 24th June 2015.

(RAM NIWAS GOEL)

Speaker,

LegislativeAssembly of the National Capital Territory of Delhi.

"THE DELHI URBAN SHELTER IMPROVEMENT BOARD (AMENDMENT) ACT, 2015" (BILL NO. 04 OF 2015)

(As introduced in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 23rd June, 2015)

P. R. MEENA, I.A.S. Secretary

Delhi Vidhan Sabha Old Sectt. Delhi-110054

DELHI URBAN SHELTER IMPROVEMENT BOARD (Amendment) ACT, 2015.

Annexure - 'A'

A

BILL

Further to amend the Delhi Urban Shelter Improvement Board Act, 2010

Be it enacted by Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty Sixth Year of Republic of India as follows:-

- Short title and commencement: (1) This Act may be called the Delhi Urban Shelter Improvement Board (Amendment) Act, 2015.
 - (2) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the official gazette, appoint.
- Amendment of section 2 in clause (g), in sub-clause (iii) for the words and figures "31st March, 2002", the words and figures "Ist January, 2006", shall be substituted in the Delhi Urban Shelter Improvement Board Act, 2010 in section 2.

(Manish Sisodia)
Minister of Urban Development

Statement of Objects and Reasons

The proposal is to amend section 2(g)(iii) of the Delhi Urban Shelter Improvement Board Act, 2010 (Delhi Act 07 of 2010) to bring it in conformity with the provisions of the National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second Act, 2011.

Reasons:

Section 2(g) of Delhi Urban Shelter Improvement Board Act, 2010 defines a jhuggi jhopri Basti as below:

- (g) <u>"Jhggi Jhopri basti"</u> means any group of jhuggis which the Board may, by notification declare as a jhuggi jhopri basti in accordance with the following factors namely:-
 - (i) The group of jhuggis is unfit for human habitation;
 - (ii) it, by reason of dilapidation, overcrowding, faulty arrangement and design of such jhuggis, narrowness or faulty arrangement of street, or any combination of these factors, is detrimental to safety, health or hygiene; and
 - (iii) It is inhabited at least by fifty households as existing on 31st March, 2002."
 - 1. However, section 3(1) of the National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second Act, 2011 as amended in 2014 envisages preparing policies, strategies, guidelines etc. for orderly arrangements for relocation and rehabilitation of slum dwellers and jhuggi-jhopri clusters in accordance with the Delhi Urban Shelter Improvement Board Act, 2010 and Master Plan of Delhi 2021 to ensure its development in a sustainable, planned and humane manner. The Act has been extended up to 31st of December, 2017 and it envisages that by that time all slums clusters etc. will be rehabilitated.

- 2. Sector 3(2) of the said Act, ibid, stipulates that the status quo has to be maintained for those encroachments existing on public land including slum dwellers and jhuggi clusters as on 1st January, 2006. The relocation and rehabilitation can, however, take place in terms of the approved policy and with the approval of the Administrator of National Capital Territory of Delhi.
 - 3. Thus section 2(g) of the Delhi Urban Shelter Improvement Board Act, 2010 contravenes the provisions of section 3(2) of the National Capital Terriroty of Delhi Laws (Special Provisions) Second Act, 2011, passed by Parliament to the extent that the jhuggies found after 31.03.2002 will not be eligible for relocation, as per Delhi Urban Shelter Improvement Board Act, 2010. To bring the two Acts in consonance, the Delhi Urban Shelter Improvement Board Act, 2010 needs amendment to cover the jhuggies which might have come from 31.03.2002 to 01.01.2006 and accordingly, the proposal for amendment in the Delhi Urban Shelter Improvement Board Act, 2010 is proposed to achieve the objectives.

PLACE:

NEW DELHI

DATE:

15

(Manish Sisodia) Minister of Urban Development

FINANCIAL MEMORANDUM

As per Section 10 of Delhi Urban Shelter Improvement Board Act, the BOARD is empowered and under obligation to prepare a scheme for removal of any jhuggie jhopri basti and resettlement of the residents. Evidently the whole process requires funds for relocation which is provided by Delhi Govt./ Delhi Urban Shelter Improvement Board and also contributed by the land owner and jhuggi dwellers towards the cost of the new houses.

As per Section 11 of the DUSIB Act, the BOARD is under obligation for improvement of any jhuggi jhopri basti by way of providing toilets, bathing facilities, drainage, water supply, street paving etc. subject to the proviso of section 11(1) of the said act.

As per Section 12 of the Delhi Urban Shelter Improvement Board Act, 2010, the BOARD may, with the consent of the owner of the land on which jhuggi jhopri basti is situtated, work out schemes for collective community rehabilitation, relocation or insitu upgradation and involve private sector/slum cooperative for redevelopment of the basti with a view to bringing about environmental improvement and improvement in the living conditions of the residents.

Hence, if the cut-off date is increased from 31st March, 2002 to 1st January, 2006, the obvious implications would be the rise in number of clusters coming within the definition of Section 2(g)(iii). Consequently. the financial implications with respect to the activities and functions mandated as per the Delhi Urban Shelter Improvement Board Act, 2010 as given in the above paras, will also increase correspondingly.

(Marish Sisodia) Minister of Urban Development

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2015

(जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में दिनांक 23 जून, 2015 को पुर:स्थापित किया गया)

> विल्ती विधान सभा पुराना संचिवालय, दिल्ली

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड(संशोधन) अधिनियम, 2015

परिशिष्ट - क

2015 का विधेयक सं.

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड(संशोधन) अधिनियम, 2015 में आगे संशोधन के लिए

एक

विधेयक

इसे भारतीय गणराज्य के 66वें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाएगाः

 संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ (1) इस अधिनियम को दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड(संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जाएगा।

यह सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत तिथि से प्रभावी होगा।

2. खण्ड(छ) के उपखण्ड (iii) की धारा 2 का संशोधन:-

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड अधिनियम, 2010 की धारा 2 में "31 मार्च, 2002" शब्दों तथा अंको के स्थान पर "1 जनवरी, 2006" शब्दों तथा अंको को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(मनीष सिसौदिया)

शहरी विकास मंत्री

MANISH SISODIA
DEPUTY CHIEF MINISTER
GOVT. OF NCT OF DELHI
DELHI SECRETARIAT.
I.P. ESTATE, NEW DELHI

उद्देशयों और करणों का विवरण

यह प्रस्ताव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधि (विशेष प्रवाधान) दित्तीय अधिनियम, 2011 के प्रधानों की सुसंघता को लाने के लिए दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड अधिनियम 2010 (2010 की दिल्ली अधिनियम 7) की धारा 2 (जी) (iii)में सेशोधन के लिए है।

कारण

दिल्ली सुधार बोर्ड अधिनियम 2010 की धारा 2 (जी) के अंतर्गत झुग्गी झोपड़ी बस्ती को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है:

- (छ) झुग्गी झोपड़ी बस्ती से अभिप्राय है झुग्गियों का समूह जिसे निम्नलिखित कारणों से अधिसूचना द्वारा बोर्ड ने झुग्गी झोपड़ी बस्ती धोषित किया है अर्थात:-
 - (i) ऐसा झुग्गी समूह जो मानव आवास के योग्य नहीं है;
 - (ii) इन्हें जर्जरता, भीड़ भाड़, त्रुटिपुर्ण इंतजाम तथा इन झुग्गियों की रूपरेखा, तंग गलियाँ या दोषपूर्ण के कारण या इन कारणों के संयोग से इन्हें सुरक्षा, स्वास्थ्य या स्वच्छता की दृष्टि से हानिकार क माना गया है।
 - (iii) इसमें "31 मार्च, 2002" को कम से कम 50 परिवार निवास कर रहे थे।
 - 1. 2014 में यथासंशोधित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधि (विशेष प्रावधान) दित्तीय अधिनियम 2011 की धारा 3 (1) में स्लम निवासियों तथा झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड अधिनियम 2010 तथा मास्टर प्लान दिल्ली 2021 के अनुसार स्लम निवासियों तथा झुग्गी झोपड़ी बस्तियों के पुर्नवास तथा पुर्नस्थापन की सुचारू व्यवस्था के लिए नीति, कार्यनीति एवं दिशानिर्देश आदि तैयार करने की व्यवस्था है ताकि इनका स्थायी, नियोजित तथा मानवीय दृष्टिकोण से विकास किया जा सके।

अधिनियम का विस्तार 31 दिसम्बर, 2017 तक किया गया है और इसमें कहा गया है कि उस समय तक सभी स्लम बस्तियों आदि का पुर्नवास हो जाएगा।

- 2. उक्त अधिनियम की धारा 3 (2) में प्रावधान है कि जिस सार्वजनिक भूमि पर 1 जनवरी 2006 तक अतिक्रमण हुआ है, जिसमें स्लम बस्ती तथा झुग्गी झोपड़ियों भी शामिल है उसमें यथा स्थिति बनी रहेगी। पुर्नवास और पुर्नस्थापन का कार्य अनुमोदित नीति के अनुसार तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली प्रशासन के अनुमोदन से होता है।
- 3. इस प्रकार दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड अधिनियम 2010, संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधियां (विशेष प्रवाधान) दिल्लीय अधिनियम, 2011 की धारा 3(2) के उपबंधों के प्रतिकूल है, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड अधिनियम, 2010 के अनुसार 31.3.2002 के पश्चात पाई गई झुग्गियों पुर्न स्थापन के यौग्य नहीं होगी।

इन दोनों अधिनियमों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, 31.3.2002 से 1.1.2006 के बीच अस्तित्व में आई झुग्गियों को बचाने के लिए दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, 2010 में संशोधन की आवश्यकता है और तद्नुसार उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड 2010 में संशोधन प्रस्तावित है।

स्थान नई दिल्ली दिनांक

> (मनीष सिशोदिया) शहरी विकास मंत्री

वित्तीय ज्ञापन

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड,2010 की धारा 10 के अनुसार किसी झुग्गी झोपड़ी बस्ती को हटाने का अधिकार तथा निवासियों को पुर्नवासित करने की स्कीम तैयार करने का दायित्व बोर्ड का है। स्पष्ट रूप से पुर्नवास की इस प्रकिया के लिए धन की आवश्यकता है जिसे दिल्ली सरकार/ दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड प्रदान करता है और इसमें भूस्वामी तथा झुग्गीवासी भी नये मकान की कीमत के रूप में अपना योगदान देते है।

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड अधिनियम 2010 की धारा 11 के अनुसार झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में उक्त अधिनियम की धारा 11(1) के परन्तुक की शतौं के अनुसार पर शौचालय, स्नान सुविधाएं, जल निकासी, जल आपूर्ति, गली में खडंजे आदि की व्यवस्था करके इनका सुधार करना बोर्ड का दायित्व है।

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड अधिनियम, 2010 की धारा 12 के अनुसार बोर्ड, जिस जमीन पर झुग्गी झोपड़ी बस्ती बनी है, उसके मालिक की सहमित से, इन निवासियों के रहने की परिस्थितियों में सुधार करने तथा परिवेश में सुधार करने के लिए सामूहिक पुर्नवास, पुर्नस्थापन या उसी स्थान पर सुधार करने के लिए स्कीम तैयार कर सकता है तथा बस्ती के पुर्नविकास के लिए निजी क्षेत्र/स्लम सहकारिता को शामिल कर सकता है।

अतः यदि निवास संबंधी अंतिम तिथि को 31 मार्च, 2002 से बढ़ा कर 1 जनवरी, 2006 किया जाता है तो स्वाभाविक रूप से उक्त अधिनियम की धारा 2(3) की परिभाषा में आने वाली झुग्गी बस्तियों की संख्या बढ़ जाएगी। परिणामरूवरूप जैसा कि ऊपर पैरों में बताया गया है, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड अधिनियिम, 2010 द्वारा आदेशित गतिविधियों और प्रकार्यों पर आने वाला वित्तीय खर्च भी

तदनुसार बढ़ जाएगा।

(भर्मीच विकादिया भारती विकास भेजी